प्रेस नोट दिनांक 25.03.2019 हेतु

ईव्हीएम–व्हीव्हीपीएटी :–

सभी जिलो में FLC का कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य में 65283 मतदान केन्द्र है। राज्य में 1,02,082–बैलेट यूनिट(156%), 82,501–कन्ट्रोल यूनिट(126%) तथा 84,311–व्हीव्हीपीएटी(129%) फर्स्ट लेवल चैकिंग उपरांत निर्वाचन हेतु उपलब्ध है।

निर्वाचन याचिका:–

विधानसभा निर्वाचन 2018 के संदर्भ में 29 निर्वाचन याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में दर्ज हुई थी, जो 20 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों के संदर्भ में हैं। माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ एवं संबंधित खण्डपीठ द्वारा अभी तक 23 विधानसभा क्षेत्रों की मशीनों को मुक्त किया गया है। केवल 4 याचिकाओं(64–नागौद, 72–देवतलाब, 150–भोपाल उत्तर एवं 179–नेपानगर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित याचिकाएं) में मशीनें मुक्त करने के संबंध में कार्यवाही जारी है।

निर्वाचन याचिका वाली मशीनें माननीय न्यायालय के आदेश से मुक्त हो रही हैं, उन मशीनों की FLC का कार्य तत्काल BEL बैंगलूरू के इंजीनियरों से कराया जा रहा है।

प्रथम रेण्डमाईजेशन :–

ईव्हीएम व्हीव्हीपीएटी का प्रथम रेण्डमाईजेशन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर– ईव्हीएम मेनेजमेन्ट सिस्टम (EMS) से दिनांक 28.03.2019 से 30.03.2019 तक किया जावेगा।